



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 15.10.2026

- "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
- थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता।
- लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक की पेटियों की आड़ में की जा रही अंतरराज्यीय अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी का भंडाफोड़, 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
- Royal Stag एवं Royal Green ब्रांड की पंजाब में बिक्री हेतु कुल 625 पेटियों में 9,588 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹65 लाख)।
- लाहौरी जीरा की कुल 1,275 यूनिट बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹2 लाख 85 हजार)।
- शराब तस्करी में प्रयुक्त ट्रक एवं 02 मोबाइल फोन बरामद (अनुमानित कीमत लगभग ₹25 लाख)।
- हरियाणा के पानीपत एवं पंचकूला से झारखंड की राजधानी रांची ले जाई जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब।

(कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹93 लाख)

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी एवं कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/नगर सुश्री मेविस टॉक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी तथा चौकी हिन्दुआरी, चुर्क एवं लोढ़ी की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 अन्तराज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कुल 625 पेटियों में 9,588 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब, तस्करी में प्रयुक्त 01 ट्रक एवं 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अभियुक्तों द्वारा लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक की पेटियों के नीचे शराब छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। बरामद शराब की बोतलों पर "Only for Punjab Sale" अंकित पाया गया। प्रारम्भिक जांच में शराब के परिवहन के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां तथा भ्रामक/कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल के तथ्य प्रकाश में आए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही—

दिनांक 14/15.10.2026 की रात्रि में शारदीय नवरात्र एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी एवं चौकी हिन्दुआरी, चुर्क तथा लोढ़ी की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचमुखी हनुमान मंदिर से आगे चुर्क की तरफ सड़क से हटकर मैदान में खड़े ट्रक की जांच की गई। ट्रक के केबिन में बैठे दो व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम नसीब चन्द राजपूत एवं कृष्णपाल राजपूत बताया।

दोनों व्यक्तियों ने ट्रक में लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक लदे होने की बात कही तथा इसके समर्थन में इनवॉइस एवं ई-वे बिल प्रस्तुत किए। दस्तावेजों में माल दिल्ली से झारखंड भेजे जाने का उल्लेख था, जबकि दोनों व्यक्ति माल पंजाब से लादकर लाने की बात बता रहे थे। दस्तावेजों एवं उनके कथनों में विसंगति पाए जाने पर पुलिस टीम द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक की पेटियों के नीचे छिपाकर रखी गई कुल 625 पेटियों में 9,588 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसमें 407 पेटियाँ Royal Stag 750 ML की 4,884 शीशी, 58 पेटियाँ Royal Stag 180 ML की 2,784 शीशी तथा 160 पेटियाँ Royal Green 750 ML की 1,920 शीशी शामिल हैं। बरामद शराब की बोतलों पर “Only for Punjab Sale” अंकित था। अभियुक्त शराब के परिवहन एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को दिनांक 15.10.2026 को रात्रि करीब 01:08 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब, ट्रक, 02 मोबाइल फोन एवं शराब परिवहन से संबंधित दस्तावेजों को विधिक प्रक्रिया के तहत कब्जे में लिया गया।

इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 839/2026, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम तथा धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान प्रकाश में आया कि ट्रक में लदे माल को उनके मालिक/वाहन स्वामी द्वारा लोड कराया गया था। अभियुक्तों ने ट्रक में लाहौरी जीरा कोल्ड ड्रिंक लदे होने के संबंध में इनवॉइस एवं ई-वे बिल प्रस्तुत किए थे, जिनमें माल को दिल्ली से झारखंड भेजे जाने का उल्लेख था, जबकि उनके द्वारा माल हरियाणा के पानीपत एवं पंचकूला से झारखंड की राजधानी रांची ले जाने की बात बताई गई।

पूछताछ में प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर अवैध अंग्रेजी शराब की आपूर्ति के स्रोत, वाहन स्वामी की भूमिका तथा तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. नसीब चन्द राजपूत पुत्र रामदेव राजपूत, निवासी ग्राम जामली, थाना बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. कृष्णपाल राजपूत पुत्र दिलाराम, निवासी ग्राम एवं पोस्ट काथला, थाना स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तारी का समय एवं स्थान—

- दिनांक 15.10.2026 को रात्रि करीब 01:08 बजे।

- पंचमुखी हनुमान मंदिर से आगे चुर्क की तरफ सड़क से हटकर मैदान में खड़े ट्रक से बरामदगी, थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण—

- 407 पेटी Royal Stag 750 ML — 4,884 शीशी।
- 58 पेटी Royal Stag 180 ML — 2,784 शीशी।
- 160 पेटी Royal Green 750 ML — 1,920 शीशी।
- कुल 625 पेटियों में 9,588 शीशी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग ₹65 लाख)।
- लाहौरी जीरा की कुल 1,275 यूनिट (अनुमानित कीमत लगभग ₹2 लाख 85 हजार)।
- 01 अदद ट्रक (अनुमानित कीमत लगभग ₹25 लाख)।
- 02 अदद मोबाइल फोन।

(कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग ₹93 लाख)

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 839/2026, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम तथा धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
2. श्री बनारसी यादव, निरीक्षक अपराध, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
3. श्री रामस्वरूप वर्मा, प्रभारी एसओजी, जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 विनय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी हिन्दुआरी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव, चौकी प्रभारी चुर्क, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
6. उ0नि0 उमाशंकर यादव, चौकी प्रभारी लोढ़ी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
7. हे0का0 संदीप यादव, हे0का0 अमरजीत यादव, हे0का0 रामसिंह, थाना रॉबर्ट्सगंज, हे0का0 राजेश यादव, एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।
08. का0 रितेश पटेल, का0 सत्यम पाण्डेय, का0 जयप्रकाश सरोज, का0 अजीत कुमार, एसओजी टीम, जनपद सोनभद्र।
09. का0 सतेन्द्र कुमार, का0 पंकज यादव, का0 अभिमन्यु पाण्डेय, का0 रामसिंह यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।